निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 60/2025
दायरा दिनांकः—19.05.2025
निर्णय दिनांकः— 28.7.25

उनवान

1. रामचरण आयु 65 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. केला बाई पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी बालापुरा
2. जमना बाई पत्नि कान्हा जाति मीणा निवासी बालापुरा
3. शान्ति बाई पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी बालापुरा
4. नन्नु पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी बालापुरा
5. प्रेमचन्द पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी बालापुरा
6. मूर्ति बाई बेवा कजोड जाति मीणा निवासी बालापुरा
7. लीला बाई पुत्री कजोड जाति मीणा निवासी बालापुरा
8. सुरेश पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी बालापुरा
9. हेमराज पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
10. सरकार जर्ये हल्का पटवारी पचपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
11. सरकार जर्ये तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91ए,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 28.7.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री दोलतराम मीणा — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91ए,188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम बालापुरा तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 58/64 खसरा नं. 11 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नं0 120 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, खसरा नं0 122 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नं0 16 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, कुल किता 4. कुल रकबा 0.9231 हैक्टेयर इसी प्रकार से खाता संख्या 65.खसरा नं. 42 रकबा 2.8451 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

8451 हैक्टेयर पैत्रिक कृर्षि आराजीयात स्थित है जिससे संबंधित एक हकत्याग दिनांक 01.06.2012 को कजोड़ पुत्र कान्हा, नन्नू पुत्र कान्हा, जगनाबाई बेवा कान्हा, जातियान मीणा निवासीगण बालापुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) ने अपने चुकते हिस्सों का वादी के पक्ष मे हकत्याग कर दिया था जो उपपंजीयक अधिकारी छबड़ा द्वारा तस्दीक किया गया था। परन्तु उस वक्त उक्त वर्णित भूमि भ्झळठ शाखा छबड़ा बैंक के रहन दर्ज थी। जिसका नोट हकत्याग पर लाल स्याई से अंकित उपपंजीयक अधिकारी ने नोट डालकर अंकित कर रखा था जिसके कारण वादी के पक्ष में दिनांक 01.06.2012 को किया गया हकत्याग का नामांतरण हल्का पटवारी द्वारा नहीं खोला गया। वादी उक्त वर्णित भूमि रहन मुक्त कराने के बाद हल्का पटवारी पचपाडा के पास गया तो कहा गया कि हकत्यागकर्ता कान्हा व कजोड़ फौत हो चुके है ओर दोनों के वारिसानों ने बिना जानकारी दिये फौती नामांतरण खुलवा लिया है जिसके कारण हकत्याग का नामांतरण फौती नामांतरण खारीज करवाये बिना नहीं खोला जा सकता। रेवेन्यु कोर्ट के द्वारा फौती नामांतरण खारीज करवाकर हकत्याग का नामांतरण खोलने का आदेश करवाकर लायेगा। तभी हकत्याग का नामांतरण खोला जायेगा। हकत्याग की गई उक्त वर्णित भूमि में फौती नामांतरण के जरिये कजोड़ व जमनाबाई के वारिस वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार के रुप में अकित जिनको दावा में प्रतिवादीगण बनाये गए है शेष सहखातेदारान के विरूद्ध कोई रिलिफ वादी नहीं चाहता है इसलिए उनकों प्रतिवादीगण नहीं बनाया गया है। हल्का पटवारी पचपाड़ा को हकत्याग दिनांक 01.06.2012 की सम्पूर्ण जानकारी थी फिर भी जानबूझकर फौती नामांतरण खोल दिया गया और हकत्याग की एड्वास में एक प्रति दे रखी थी हकत्याग का नामांतरण नहीं खोला जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 01.05. 2025 को प्राप्त हुई। जिसके कारण वाद हेतुक उत्पन्न हुआ मामला कृर्षि आरजी से संबंधित गलत फौती नामांतरण खुल जाने के कारण तथा हकत्याग का नामांतरण नहीं खुलने के कारण वाद उत्पन्न हुआ इसलिए माननीय न्यायालय में वाद चलने योग्य है समरी ट्रायल योग्य है। 6. वादी राज्य सरकार के विरूद्ध कोई रिलिफ नहीं चाहता रेवेन्यु रिकॉर्ड 10711 का सन्धारण करते है। इसलिए प्रतिवादीगण बनाऐ गए है ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बालापुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 64 प्रर्दश 1 है नकल जमाबन्दी ग्राम बालापुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 65 प्रर्दश 2 है। नकल नामान्तरण संख्या 988 ग्राम बालापुरा प्रर्दश 3 है। रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 01.06.2012 प्रर्दश 4 है। जो पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 रामचरण PW2 रमेश कल्लु के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। अभिभाषक वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बालापुरा तहसील छबडा में स्थित है। जो पैत्रक आराजी है। विवादित आराजी के खातेदार कजोड पुत्र कान्हा, नन्नु पुत्र कान्हा, जमना बाई, बेवा कान्हा जाति मीना निवासी बालापुरा ने अपने चुकते हिस्सो का हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था जिसे उपपंजीयन अधिकारी छबडा द्वारा तस्दीक किया गया था। विवादित आराजी HKGB शाखा छबडा में रहन दर्ज थी जिसका नोट लाल स्याही से हक त्याग में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...कित कर दिया जिसके कारण वादी के पक्ष में हक त्याग का नामान्तरण दर्ज नही हो पा ...हा है हक त्याग कर्ता कान्हा व कजोड फोत हो चुके है बिना जानकारी दिये फोती नामान्तरण खुलवा लिया है नामान्तरण खारिज करवाने के वादी ही हक त्याग का नामान्तरण दर्ज किया जायेगा। फोती नामान्तरण के आधार पर कजोड व जमनाबाई के वारिस वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार के रूप में अंकित है कजोड व जमनाबाई के फोती नामान्तरण को खारिज किया जावे। तथा वादी को हक त्याग पत्र के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

बहस अभिभाषक वांदनीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बालापुरा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 64 में वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बालापुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 65 में वादी का नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 988 ग्राम बालापुरा कजोड का फोती नामान्तरण उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। इससे यह तथ्य सामने आते है कि विवादित आराजी कजोड के शामलाती में नाम दर्ज था परन्तु कजोड की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण से उसके वारिसान का नाम दर्ज हुआ। रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 01.06.2012 के अनुसार कजोड, नन्नु पुत्र कान्हा एवं जमनाबाई बेवा कान्हा जाति मीना द्वारा अपने हिस्सा 1/10 में से हिस्सा 1/30 का हक त्याग रामचरण पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी ग्राम बामला को किया जाना वर्णित किया गया है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 64 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हक त्याग कर्ता जमना बाई का हिस्सा 1/45 नन्नु पुत्र कान्हा का हिस्सा 1/45 एवं मृतक कजोड के वारिसान का 1/225, 1/225 अर्थात् कजोड की मृत्यु से पूर्व कजोड का हिस्सा 1/45 था। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 42 में इन तीनों जमना बाई, नन्नू, कजोड का हिस्सा 1/45, 1/45 है वाद पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 16 की जमाबन्दी संलग्न नही की गई है इसलिए इस भूमि में हिस्सा स्पष्ट नही है हक त्याग पत्र में वर्णित भूमि के 1/10 हिस्से में से 1/30 हिस्से का हक त्याग वर्णित है जबकि समस्त जमाबन्दी में हिस्सा 1/45 है। हक त्याग में हिस्सा 1/30 को काली स्याही से बाद में लिखा गया है परन्तु इसे सत्यापित नही किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट नही है कि कौनसे खसरों में कितना हिस्से का हक त्याग किया गया है ऐसी स्थिति में वादी को चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना सम्भव नही है अतः वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित हैं।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा